आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-सी0आर0एम0-15/2012-13

ध्रुव प्रसाद

बनाम

बिहार सरकार

23-09-14

आदेश

अपीलकर्ता ध्रुव प्रसाद पिता-स्व0 विश्वनाथ प्रसाद सा0-भसुरारी थाना-शिकारपुर द्वारा यह अपील अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अभिलेख संख्या-05/05 में दिनांक 24.02.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता के निलंबित अनुज्ञप्ति संख्या-52/84 को रदद् किया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का अभिलेख संख्या-05/05 प्राप्त हुआ है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्रामीण जनता भसुरारी द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता ध्रुव प्रसाद के विरूद्ध दिये गये शिकायत पत्र पर अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा दिनांक 26.08.2005 को भेजे गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को रदद् कर दिया गया है। अपीलकर्ता के विरूद्ध निम्नांकित आरोप लगाये गये है :-

1. अपीलकर्ता का व्यवहार उपभोक्ताओं से ठीक नही है।

2. दुकान पर विक्रेता या उनके परिवार का अन्य सदस्य उपस्थित नही थें, लोगों ने बताया कि गाड़ी देखकर भाग गये।

3. भंडार-सह- मूल्य प्रदर्शनपट्ट पर दिनांक 26.08.2005 की तिथि में 3806 लिटर किरासन तेल अंकित पाया गया। लेकिन भौतिक सत्यापन में मात्र 3000 हजार लिटर ही तेल पाया गया।

4. अपराह्न 3.00 बजे बिक्रेता के पुत्र उपस्थित हुए जिनसे भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की मांग की गयी। परंतु उनके द्वारा उपलब्ध नही कराया गया।

5. अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा बिक्रेता को पूर्व में किये गये जांच के लिए भी दुकान बंद के निमित चेतावनी दी गयी

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

थी।

अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नरकटियागंज ने उपरोक्त अनियमितता के आरोप में जनवितरण प्रणाली बिक्रेता के अनुज्ञप्ति संख्या-52/84 को निलंबित करने की अनुशंसा की थी जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए जनवितरण प्रणाली विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांगा कि उपरोक्त अनियमितता के आरोप में उनकी अनुज्ञप्ति को क्यों नही रदद् किया जाए।

अपीलकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया जिसे संतोषप्रद न पाकर अपीलकर्ता की अनुज्ञप्ति को रदद् कर दिया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन पत्र में निम्नांकित दावा किया गया है :-

1. अनुज्ञप्ति निलंबित करने के पूर्व उनसे कारण पृच्छा की मांग नही की गयी थी।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा जनवितरण प्रणाली से संबंधित नियमावली में दिये गये प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई न कर अनुज्ञप्ति को रदद् किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 24.02.2007 को रदद् करते हुए अनुज्ञप्ति को पुनर्जिवित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस मामलें में अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-6074/2007 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि यदि अपीलकर्ता की जनवितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति रदद् नही हुई हो तो अनुज्ञप्ति के निलंबन से संबंधित आदेश को वापस कर दिया जाएगा। परंतु इस मामलें में जनवितरण प्रणाली के बिक्रेता की अनुज्ञप्ति रदद् हो चुकी है। अतः इस मामलें में अनुज्ञप्ति के रदद् होने से संबंधित आदेश पर ही विचार किया जा सकता है।

प्रस्तुत मामलें की सम्यक विवेचना से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों के विरूद्ध ठोस साक्ष्य या प्रमाण न तो अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न इस न्यायालय में ही प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज के विरूद्ध अपील दायर करने में पाँच वर्ष का समय लगाया गया हैं। जांच के क्रम में भंडार में किरोसिन तेल कम पाया गया हैं। भंडार-सह-मूल प्रदर्शन पटट् पर किरासन तेल की प्रदर्शित मात्रा तथा सत्यापन में पाई गयी वास्तविक मात्रा

प्रमाणित प्रतिलिपि

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	में 806लिटर की कमी है जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गयी अनियमितता को स्पष्टतः प्रमाणित करता है। इस परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 24.02.2007 को सही पाते हुए अपील आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 23/9/14 जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया 23/9/14	

प्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत